भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4086

18.08.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य-योजना

4086. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनएपीसीसी) और राज्य कार्य-योजनाओं के माध्यम से शहरी नियोजन, कृषि और बुनियादी ढाँचे के विकास में जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पश्चिमी घाट, हिमालय और पूर्वोत्तर जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के संरक्षण और समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं; और

(ग) प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफैंट की प्रगति की स्थिति क्या है, जिसमें जनसंख्या रुझान, आवास संरक्षण उपाय और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की रणनीतियाँ शामिल हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूलन, क्षमता निर्माण और सामाजिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी नीतिगत उपायों सहित कई प्रकार की पहल की है। जलवायु कार्रवाई से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों में तटीय, बाढ़-प्रवण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल आवास और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। एनएपीसीसी के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन (एनएमएसएच) का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति शहरों की अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना तथा जलवायु संबंधी विषम घटनाओं और आपदा जोखिम से 'बेहतर ढंग से मुकाबला' के लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करना है।

एनएपीसीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को क्रियान्वित करता है। एनएमएसए के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ कृषि में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए हैं। प्रति बूंद अधिक फसल योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग क्षमता बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु

परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को बढ़ावा देती है।

इसके अलावा, चौंतीस राज्य संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीएस) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एनएपीसीसी के अनुरूप अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है और कुछ ने इसे अद्यतन भी किया है। ये एसएपीसीसी अनुकूलन और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे सहित क्षेत्र-विशिष्ट और अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकता वाली कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं।

(ख) भारत सरकार देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पश्चिमी घाट, हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों के संरक्षण तथा समुदायों द्वारा किए जाने वाले संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इनमें जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों की स्थापना; 50 जैव विविधता विरासत स्थलों की घोषणा; जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना और जन जैव विविधता रजिस्टरों का निर्माण शामिल है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) के अनुरूप राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) को 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण अपनाकर लागू किया जाएगा। अद्यतित एनबीएसएपी में 142 संकेतकों के साथ 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (एनबीटी) शामिल हैं। इस योजना में संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ-साझाकरण पर व्यापक ध्यान दिया गया है, और इसमें स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्रों की रक्षा, अवक्रमित पारिस्थितिक तंत्रों की पुनर्स्थापना और जैव विविधता के खतरों को कम करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में समावेशी और सतत परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता शासन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी पर ज़ोर दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जैसे संगठन, भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट सहित देश भर में अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से सर्वेक्षण, सूची, वर्गीकरण सत्यापन, वनस्पति और जीव जन्तुओं के खतरे के आकलन के साथ-साथ बाह्य-स्थाने संरक्षण में सहायता करते हैं। हिमालय में, हॉटस्पॉट संरक्षण के भाग के रूप में हिम तेंदुआ परियोजना, हिमालयी वन्यजीव परियोजना, तथा हंगुल, कस्तूरी मृग और हिमालयी मोनाल की बहाली जैसे प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

इस मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। संरक्षित क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा विशेष पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे संरक्षित क्षेत्र या अन्य प्राकृतिक स्थल, के लिए किसी प्रकार का "शॉक आब्जर्वर" बनाने के लिए की जाती है और इसका उद्देश्य उच्च संरक्षण वाले क्षेत्रों से कम संरक्षण वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करना है। दहानु तालुका, महाबलेश्वर-पंचगनी, माथेरान, भागीरथी

और दून घाटी जैसे पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्व, हिमालय और पश्चिमी घाट के जैव विविधता हॉटस्पॉट में 120 पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।
बायोस्फीयर रिजर्व (बीआर) जैव विविधता के संरक्षण, जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास और संबंद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरक्षण का प्रयास है, के बीच संतुलन के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्यवाई करने के लिए नामित किए जाते हैं। देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (डब्ल्यूएनबीआर) के अंतर्गत हैं, और शेष 6 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के डब्ल्यूएनबीआर में विचाराधीन हैं।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक विरासत, वन्य संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की नीतियां और अधिसूचनाएं स्थापित की हैं।

यह मंत्रालय हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों के संरक्षण, मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों के समाधान और देश में बंदी हाथियों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफैंट (सीएसएस-पीटीएंडई) के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। देश में वन्यजीव और उसके पर्यावास के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसकी अनुमानित संख्या 3682 (3167-3925 के बीच) है, जबकि वर्ष 2018 में यह 2967 (2603-3346 के बीच) और वर्ष 2014 में 2226 (1945-2491 के बीच) थी। बाघों के संरक्षण के लिए भारत में 58 बाघ अभयारण्य अधिसूचित किए गए हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.5% हिस्सा कवर करते हैं।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से मानव-वन्यजीव नकारात्मक अंतःक्रियाओं के प्रबंधन के लिए तीन-आयामी कार्यनीति का समर्थन किया है, अर्थात,

i. सामग्री और संभार तंत्र संबंधी सहायता प्रदान करना;
ii. पर्यावास हस्तक्षेपों को सीमित करना और,
iii. तीन मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), जिनमें शामिल हैं, (क) मानव बहुल क्षेत्रों में बाघों के भटकने के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटना; (ख) पशुधन पर बाघों के हमले से निपटना और (ग) भूदृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के लिए सक्रिय प्रबंधन।

तीन एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ भटके हुए बाघों का प्रबंधन, संघर्ष को कम करने के लिए पशुओं की हत्या का प्रबंधन, तथा बाघों को स्रोत क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शामिल है, जहां बाघों की संख्या कम है, ताकि समृद्ध स्रोत क्षेत्रों में संघर्ष न हो। इसके अतिरिक्त, बाघ संरक्षण

योजनाओं के अनुसार, बाघ रिजर्वों द्वारा आवश्यकता-आधारित और स्थल-विशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम किए जाते हैं।

हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1992 में हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों की सुरक्षा, मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों का समाधान और देश में बंदी हाथियों के कल्याण के उद्देश्यों के साथ की गई थी। हाथियों के संरक्षण पर ध्यान और तालमेल बढ़ाने तथा संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हाथी पर्यावासों को 'हाथी रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया गया है। देश में हाथियों की संख्या का नवीनतम आकलन वर्ष 2017 में पूरा हुआ था। वर्ष 2017 में हाथियों की अनुमानित संख्या 29,964 थी, जबकि वर्ष 2012 में यह अनुमानित संख्या 29,391-30,711 थी। हाथियों के संरक्षण के लिए, 14 हाथी क्षेत्र वाले राज्यों में 33 हाथी रिजर्व बनाए गए हैं।

मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) के शमन और प्रबंधन सहित वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को सुलझाने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाता है, तथा आम जनता को विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार करने सहित मानव-पशु संघर्ष के बारे में संवेदनशील बनाने, मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने और स्थानीय लोगों को मानव-पशु संघर्ष से बचाने, मानव जीवन, संपत्ति और हाथियों को होने वाली क्षति या हानि को रोकने के लिए सचेत करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मानव-वन्यजीव स्थितियों से निपटने के लिए नियामक कार्य प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष को दूर करने के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण (2023) को अपनाते हुए मानव-हाथी संघर्ष शमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को संचालन समिति की 16वीं बैठक के दौरान मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन पर फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए फील्ड मैनुअल भी जारी किया गया।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षतिपूर्ति योजनाओं के अतिरिक्त, मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता के आधार पर, केन्द्र प्रायोजित योजना, बाघ और हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुग्रह राहत के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

*****